पत्रांक-1792/प्रशि०/सेवा०/.../2010 दिनांक 23.07.2010

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक भर्ती 2010 हेतु विज्ञा संख्या–1 / 104 / 2010 दिनांक 19.06.2010 को दैनिक जागरण एवं 20.06.2010 अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त आवे पत्रों में कुछ बिन्दुओं पर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति प्रकट हुई है। जिस विशलेषण के उपरान्त उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति दूर करने हेतु निम्नांकित दि निर्देश जारी किये जा रहे है। ऐसे अभ्यर्थी जो भ्रम की स्थिति से पूर्व में आवेदन वंचित रह गये है अथवा पूर्व में किये गये आवेदन पत्र में वांछित अभिलेख नहीं कर पाये, वह दिनांक 31.07.2010 तक व्यवसायिक परीक्षा परि आई0टी0आई0, निरंजनपुर, देहरादून में स्वंय द्वारा आवेदन पत्र एवं अभिलेख कर सकते है।

1. पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों का उत्तराखण्ड में स्थित कि सेवायोजन कार्यालय में विज्ञापन की तिथि से पूर्व जीवित पंजीकरण अनिवार्य था। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जि उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त विज्ञापन की तिथि से पूर्व अथवा पश किसी भी तिथि को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो, आवेदन सकते है।
2. पूर्व में जारी अनुदेशक भर्ती विवरणिका 2010 के अनुसार विज्ञापित पदों हेतु निजी प्रतिष्ठान का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप सवैतनिक एवं फर्म की टिन संख्या सहित मांगा गया था। इस संबं सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप की बाध्यता समाप्त की जात साथ ही अभ्यर्थी वेतन एवं टिन संख्या रहित अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकते है, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को चयन के उपरान्त नि से पूर्व सवैतनिक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पूर्व में जारी विवरणिका–2010 में अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल ड्राईविंग पद हेतु अभ्यर्थियों का हल्के एवं भारी वाहन चालक क लाईसैंस होना अनिवार्य था। इस संबंध में सूचित करना है कि अभ्यर्थियों के पास वर्तमान में वैध लाईसेंस नहीं है उनको भी आवेदन की छूट प्रदान की जाती है, परन्तु ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को चय उपरान्त नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अन्तराल में हल्के एवं भारी चालक का वैध लाईसैंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पूर्व में जारी विज्ञप्ति एवं शुद्धि पत्र के अनुसार अनुदेशक कला / गणि हेतु अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत यांत्रिक अथवा विद्युत अभियन्त्रण में डि होना अनिवार्य था। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि इस प इलेक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते है।

उपरोक्त निर्देश के क्रम में इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 31.07.20 आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र स्वंय के द्वारा उक्त दिनांक तक हो जाने चाहिए। अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र नहीं होगें। अन्य शर्तें पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रहेगी।

निदेशक